पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच वर्ष की सश्रम कैद

श्रावस्ती। नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को न्यायालय की ओर से पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2022 में पोक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बेचऊ पुरवा निवासीगण महादेव पुत्र हरीराम, हरीराम पुत्र छोटू, जयदेव पुत्र हरिराम व चैतू उर्फ रामचरन पुत्र खेलावन के विरुद्ध 13 सितम्बर 2022 में नाबालिग से छेड़खानी करने के अपराध में पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से मामले की विवेचना की गई और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से मामला न्यायालय में था।

शस्त्र अधिनियम में एक आरोपी को सजा

इकौना पुलिस ने पांच साल पहले 2019 में असफाक अहमद पुत्र अखलाक अहमद निवासी नरहरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को चाकू के साथ पकड़ा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय की ओर से आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।